कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 850/11/आउशि/निर्माण शाखा–6/18, भोपाल, दिनॉक 29/08/2018

प्रति,

प्राचार्य,
पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
सागर, (म0प्र0)

विषयः–जनभागीदारी मद तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग की राशि से प्रशासनिक भवन एवं सेमीनार हाल निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बावत्।

संदर्भः–1..आपका पत्र कमांक 4279, दिनांक 02.05.2018
2.कलेक्टर, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, सागर का पत्र कमांक 3756/संयोसां/जन.भा./17, दि.25.09.2017

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि महाविद्यालय से कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल, सागर से निम्नांकित कार्यो के लिए प्रस्तुत प्रॉक्कलन अनुसार जनभागीदारी मद एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की राशि से निम्न कार्य कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विवरण निम्नानुसार हैः–

स.	निर्माण कार्य का नाम	प्रॉक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये लाख में	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा स्वीकृत राशि 50 प्रतिशत रूपये लाख मे	महाविद्यालय जनभागीदारी मद की राशि 50 प्रतिशत रूपये लाख में
1.	प्रशासनिक भवन एवं सेमीनार हॉल निर्माण	95.63	47.81	47.82

अतः उपरोक्तानुसार म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति के नियम में संशोधन कें संबंध में प्रकाशित म.प्र.राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार क. 80, दिनांक 20.2.2015 के बिन्दु–2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत प्रॉक्कलन/तकनीकी स्वीकृति की राशि **रूपये 95.63 लाख (रूपये पिच्यानबे लाख, तिरेसठ हजार मात्र)** मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर व्यय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल, सागर संभाग, सागर से निरंतर संपर्क कर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3. कार्य का समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन भेजा जावे। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल, सागर के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।

"आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

24/8/18

(डॉ.श्रीमती सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

.....2

पृ.क्रमांक 851 /11/आउशि/निर्माण शाखा–6/18,   भोपाल, दिनॉक 29 /08/2018

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, सागर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, सागर संभाग,सागर, म.प्र.।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अध्यक्ष,जनभागीदारी समिति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर, (म0प्र0)
7. प्रभारी अधिकारी,कम्प्यूटर प्रकोष्ठ,उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश